

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE**Friday, 26 July , 2024****Edition: International Table of Contents**

Page 01 Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	'राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार है'
Page 05 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	विशिष्ट और सामाजिक चेतना वाले विद्वान-अर्थशास्त्री का उल्लेखनीय जीवन
Page 06 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	मंत्री ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की
Page 10 Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था	भारत की अवैध कोयला खनन समस्या
समाचार में व्यक्तित्व	लोकमान्य तिलक
Page 07 : संपादकीय विश्लेषण: पाठ्यक्रम GS: 02 : शासन और सामाजिक न्याय	'मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा देने से आत्महत्याओं में कमी आएगी'
मानचित्रण	विषय: भारत के राष्ट्रीय उद्यान

Page 1 : GS 2 & 3 : Indian Polity and Economy

सर्वोच्च न्यायालय ने 8:1 के बहुमत से एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि राज्य विधानसभाओं के पास संसद के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) से स्वतंत्र होकर खनन भूमि और खदानों पर कर लगाने का अधिकार है।

मामले की पृष्ठभूमि

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मामला, जो 25 वर्षों से लंबित था, 8-1 के बहुमत से तय किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुमत की राय लिखी।

'States have unlimited right to tax mineral-rich lands'

Constitution Bench, in an 8:1 verdict, holds that Parliament, through Mines and Minerals Act, cannot restrict States from legislating on the taxation of mining lands, quarries; any dilution will impact their ability to raise revenues; the verdict came in a batch of 86 appeals filed by different State govts., mining firms, and public sector undertakings

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

A nine-judge Constitution Bench, headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, on Thursday held by an 8:1 majority that Parliament cannot limit the power of State legislatures to tax mineral-bearing lands and quarries. The judgment, freeing States from the restrictions imposed by the Centre, is in tune with the federalist principles of governance.

"Any dilution in the taxing powers of the State legislatures will necessarily impact their ability to raise revenues, which in turn will impede their ability to deliver welfare schemes and services to the people. The ability of the State governments to invest in

physical infrastructure, health, education, human capacity, and research and development is directly correlated to the raising of government revenues... Fiscal federalism entails that the power of the States to levy taxes within the legislative domain carved out to them and subject to the limitations laid down by the Constitution must be secured from unconstitutional interference by Parliament," the Chief Justice said.

The verdict noted how mineral-rich States such as Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha continue to have per capita income below the national average.

The judgment said Parliament, through the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act of 1957 cannot restrict the



Fiscal federalism entails that the power of the States to levy taxes within the legislative domain carved out to them and subject to the limitations laid down by the Constitution must be secured from unconstitutional interference by Parliament

D.Y. CHANDRACHUD
Chief Justice of India

States from legislating on the taxation of mining lands and quarries.

'Royalty not a tax'
The court further held that royalty paid to the States by mining lease holders is not a tax.

"Royalty is not a tax. Royalty is a contractual consideration paid by the mining lessee to the lessor for enjoyment of mineral

rights," the Chief Justice Chandrachud said.

The judgment came in a batch of 86 appeals filed by different State governments, mining companies and public sector undertakings.

The case has its roots in a dispute between India Cements Ltd. and the Tamil Nadu government.

Chief Justice Chandrachud said State legislatures

derive their power to tax mines and quarries under Article 246 read with Entry 49 (tax on lands and buildings) in the State List of the Seventh Schedule of the Constitution.

"Mineral-bearing lands fall within the description of 'lands' in Entry 49," Chief Justice Chandrachud held.

In the sole dissenting opinion on the Constitution Bench, Justice B.V. Nagarathna said the States' power to tax under Entry 49 of List II did not include "mineral-bearing lands". However, Justice Nagarathna agreed with the majority on the Bench that royalty was not a tax.

The Centre had argued that Entry 50 in the State List had allowed the Parliament to impose "any limitations" on taxes on miner-

al rights through laws relating to mineral development, in this case, the MMDR Act.

However, the Chief Justice responded in the judgment to the argument by noting that Entries 50 and 49 of the State List "deal with distinct subject matters and operate in different fields".

The limitations imposed by Parliament in a law like the MMDR Act, which related to mineral development, did not operate on or influence State taxation of mining lands under Entry 49 in the State List for the sole reason that "there is no specific stipulation in the Constitution to that effect".

"Entry 50 of List II does not constitute an exception... The power to tax mineral rights vests in the

State Legislatures. The Parliament does not have the legislative competence to tax mineral rights, with Entry 54 of the Union List (Regulation of mines and minerals development declared by parliamentary law to be expedient in the public interest) being only a general entry. Power to tax mineral rights is enumerated in List II. The Parliament cannot use its residuary powers with respect to that subject matter," Chief Justice Chandrachud held.

Justice Nagarathna, however, agreed that the MMDR Act, especially the provision which allows the Centre to take "control of the regulation of mines and the development of minerals" on expediency in public interest, denuded or limited the scope of a State's right to tax.

रॉयल्टी और करों को समझना

- रॉयल्टी किसी उत्पाद के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान की जाने वाली फीस है, जो करों से अलग है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDRA) की धारा 9 के अनुसार पट्टेदारों को भूमि पट्टे पर देने वालों को रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है।

कानूनी प्रश्न और ऐतिहासिक निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय के 1989 के इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में शुरू में रॉयल्टी को कर माना गया था, इस स्थिति को वर्षों से चुनौती दी गई और फिर से देखा गया।
- 2004 में, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी कर नहीं है, इंडिया सीमेंट निर्णय से एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि को ठीक किया।
- खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण मामले में इन व्याख्याओं से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का प्रयास किया गया।

बहुमत का निर्णय: रॉयल्टी कर नहीं है

- ✚ बहुमत ने फैसला सुनाया कि रॉयल्टी कर नहीं, बल्कि पट्टेदारों और पट्टेदारों के बीच विशिष्ट अनुबंधों पर आधारित भुगतान है।
- ✚ कर सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जबकि रॉयल्टी पट्टेदारों को विशेष खनिज अधिकारों के लिए क्षतिपूर्ति करती है।

“Royalty is not a tax. Royalty is a contractual consideration paid by the mining lessee to lessor for enjoyment of mineral rights. The liability to pay royalty arises out of the contractual conditions of the mining lease. Payments made to the govt cannot be deemed to be a tax merely because the statute provides for their recovery as arrears —SC's majority order

The state legislatures have legislative competence under Article 246 read with Entry 49-List II to tax lands and buildings but not lands which comprise of mines and quarries or have mineral deposits as mineral bearing lands do not fall within the description of lands (under Entry 49-List II)

— Justice B V Nagarathna's dissenting order in 8:1 verdict

खनिज विकास पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति

- ✚ न्यायालय ने माना कि राज्य एमएमडीआरए से स्वतंत्र होकर राज्य सूची की प्रविष्टि 50 के तहत खनिज विकास गतिविधियों पर कर लगा सकते हैं, जो खनिज अधिकार करों पर राज्य को विशेष शक्तियाँ प्रदान करती है।
- ✚ संघ सूची की प्रविष्टि 54 केंद्र को खानों और खनिज विकास पर विनियामक शक्ति प्रदान करती है, लेकिन कर लगाने की शक्ति नहीं।

न्यायमूर्ति नागरत्ना द्वारा असहमतिपूर्ण राय

- ✚ न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तर्क दिया कि समान खनिज विकास को बनाए रखने के लिए रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए।
- ✚ उनका मानना था कि राज्यों को अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति देकर एमएमडीआरए का उद्देश्य कमज़ोर हो जाएगा।
- ✚ उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एमएमडीआरए ने अधिनियमन के बाद राज्यों की कर लगाने की शक्तियों को समाप्त कर दिया और राज्य सूची की प्रविष्टि 49 खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की अनुमति नहीं देती।

निहितार्थ

- ✚ यह निर्णय राज्यों को खनिज गतिविधियों और खनिज के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर करों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने की अनुमति देता है, जिससे रॉयल्टी और करों के बीच अंतर पर स्पष्टता मिलती है और खनिज विकास में राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को सुदृढ़ किया जाता है।

UPSC Mains PYQ : 2014

प्रश्न: यद्यपि हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है और यह सिद्धांत इसकी मूलभूत विशेषताओं में से एक है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के तहत संघवाद एक मजबूत केंद्र के पक्ष में झुकता है, जो एक ऐसी विशेषता है जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के विरुद्ध है।

Page 05 : Prelims Fact

क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन (2 जुलाई 1931-23 जुलाई 2024), एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और मद्रास क्रिश्चियन के पूर्व प्रोफेसर थे।

A notable life of a scholar-economist of distinction and social conscience

V.K. Ramachandran

Christopher Thomas Kurien, known as CTK to those whose lives and minds he touched, was one of South India's finest and most influential teachers of economics. CTK's entry into economics was inspired by the vision of the 'Tryst with Destiny' speech, and in particular Jawaharlal Nehru's exhortation that "the service of India means...the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity". As he explained in a 2012 interview published in the newsletter of the World Economics Association, when he decided in his final high school year to take up the study of economics, it was in the hope "I would be able to understand the causes of poverty and contribute to its eradication."

It was this quest that spurred CTK's scholarly efforts for the next seven decades. Amartya Sen, reflecting on the general dissatisfaction with economics, once remarked that this was experienced in India with probably even better reason, "because in some ways, economic problems are more serious, more nasty in India than they were in many other parts of the world". So it was with CTK. It was the 1950s and he was now a lecturer at the Madras Christian College, Tambaram. His restlessness over the "disjunction between theory and real-life issues" made him want to equip himself in economic theory. He decided to study for a Ph.D. and enrolled in the doctoral programme at Stanford University in 1958.

Stanford was then a special kind of hub of debate in the discipline of economics. There, CTK took the first major steps in what would be a lifelong endeavour: to test theory by confronting it with the economic problems of India. He set himself the task of testing the claims to universality of neoclassical economics by applying it

to probe the literature on surplus labour. At the end of this endeavour, the scales had fallen from his eyes. What he wanted now was "a conceptualisation of the economy other than what neo-classical theory provided and what 'dual economy' models assuming subsistence wages implied was necessary for a proper understanding of the...problems of the Indian economy".

He had developed an alternative: he was able to show that "the distribution of non-labour resources was the essence of understanding India's economy and its problems". In teaching undergraduate courses, he maintained that three related questions were required to understand an economy: "Who owns what?", "Who does what?", and "Who gets what?"

And so, in the 1960s, back to the Madras Christian College, where CTK designed and taught a course titled Indian Economic Problems (IEP). I

had the good fortune of being a student in CTK's IEP class in 1969-72. He was a demanding taskmaster and one of the first things his course did was to teach us to use economic theory to build a toolbox with which to examine and analyse specific problems of the Indian economy. He then helped us study a wide range of sectors of the economy - agriculture, livestock, industry, the informal sector, banking, major services, marketing and trade, Plan models, the public sector, and much more - using these conceptual



C.T. KURIEN (JULY 2, 1931-JULY 23, 2024)

tools. The years from 1968 to 1978, his last decade at the Madras Christian College, were not only years of teaching but also of productive research and writing. In this period, CTK published, among other writings, *Indian Economic Crisis* (1968), *A Theoretical Approach to the Indian Economy* (1969), and, in 1978, his more widely known book of the period, *Poverty, Planning and Social Transformation* (the last book in the list being dedicated to "my teachers, many of them my students,

who asked questions)."

In 1974, CTK proposed a rural employment guarantee scheme (in the form of a "land army") for India; the first person, as far as I know, to have done so. In 2021, on the occasion of CTK's 90th birthday, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, paying tribute to a "consistent supporter of policies that benefit the vast majority of people", drew particular attention to the fact that CTK had been an early advocate of a rural employment guarantee.

MIDS term

In 1978, CTK took the major decision to leave the Madras Christian College to become the founder Director of the Madras Institute of Development Studies. MIDS, which had been established by CTK's teacher Malcolm Adiseshiah some years earlier, had been made a National Institute of the Indian Council of Social Science Research. Under CTK's distinguished and democratic leadership,

MIDS became the first and foremost Centre for the study of the Tamil Nadu economy. This concentration on regional economics was reflected also in the books CTK wrote over the period, including *Dynamics of Rural Transformation* (1979) and *Economic Change in Tamil Nadu* (with Josef James, 1979).

After he retired from the directorship of MIDS, CTK was a National Professor of the University Grants Commission and a National Fellow of the ICSSR. The books of his early retirement years, including *On Markets in Economic Theory and Policy* (1993) and *Rethinking Economics: Reflections Based on a Study of the Indian Economy* (1996), were the product of many years of thinking about India's economy. In his last two books, *Wealth and Illfare: An Expedition into Real Life Economics* (2012) and *Economics of Real-Life: A New Exposition* (2018), CTK sought to reconnect with the young, to reach out to new students

of economics who were struggling, as he had done in the 1950s, with the "disjunction between theory and real-life issues".

Another feature of his retirement years was a new interest in writing book reviews, mainly in *Frontline* magazine. This was his way of keeping touch with current thinking, particularly in economics.

When CTK taught his Indian economy course, a question he asked when we began and ended was "What is the major problem of the Indian economy today?" And he was in no doubt about the answer. The world is a poorer place for the death of people like CTK, those who help us identify poverty and its social and economic characteristics and inspire us to come together to fight for a just society. (V.K. Ramachandran, an economist, is Vice-Chairperson of the Kerala State Planning Board. A longer text of this article can be read at www.thehindu.com.)

- ✚ उन्होंने 2000 में भारतीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- ✚ उन्होंने 15 पुस्तकें लिखीं, जो अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित थीं, जिसमें गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था।
- ✚ वे गरीबी को प्रभावी ढंग से संबोधित न करने के लिए मुख्यधारा के अर्थशास्त्र की आलोचना करने के लिए जाने जाते थे और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से आर्थिक नीतियों की वकालत करते थे।

Page 06 : Prelims Fact

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए 'मॉडल कौशल ऋण योजना' को नया रूप दिया, जिसमें 7.5 लाख रुपये की नई अधिकतम ऋण सीमा तय की गई।

- ✚ पहले (2015 में शुरू की गई) कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSSD) की अधिकतम ऋण सीमा 1.5 लाख रुपये थी।

CGFSSD के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- ✚ योजना के तहत कम निधि उपयोग: 31 मार्च, 2024 तक, केवल 10,077 उधारकर्ताओं को 115.75 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। यह मुख्य रूप से ऋण के कम टिकट आकार (1.5 लाख रुपये तक) के कारण था।
- ✚ मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति के कारण पाठ्यक्रम की लागत और फीस बढ़ने के कारण, कई उच्च लागत वाले पाठ्यक्रम योजना से बाहर रह गए।
- ✚ ऋण देने वाली संस्थाओं की संख्या में कमी: पहले केवल भारतीय बैंकिंग संघ (IBA) के सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं को ही ऋण देने की अनुमति थी, तथा उनकी सीमित पहुँच के कारण निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कम उठाव किया गया था।

पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना की आवश्यकता:

- ✚ कौशल अंतर को भरने के लिए: तथाकथित कुशल कार्यबल का केवल 5% ही औपचारिक रूप से कुशल है, इसलिए कौशल में बहुत बड़ा अंतर है, जिसे भरने की आवश्यकता है।
- ✚ तेजी से हो रहे तकनीकी और सामाजिक बदलावों के अनुकूल होना: चूंकि भारत (और दुनिया) तेजी से तकनीकी और सामाजिक बदलावों से गुजर रहा है, इसलिए भारत की शिक्षा प्रणाली और नौकरी बाजार को तालमेल बिठाने और 2047 के लिए एक दृष्टिकोण की दिशा में कड़ी मेहनत करने के लिए अनुकूल होना चाहिए।
- ✚ नए युग की शिक्षा को एकीकृत करना: चूंकि 'कौशल अर्थव्यवस्था' तेजी से बाजार-आधारित होती जा रही है, इसलिए नए युग की शिक्षा को कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया जाना चाहिए।

Minister launches revamped Model Skill Loan Scheme

Maitri Porecha
NEW DELHI

Skill Development Minister Jayant Chaudhary launched the revamped Model Skill Loan Scheme on Thursday, two days after Finance Minister Nirmala Sitharaman announced hiking the eligible size of loans for high-end skilling courses under the scheme to ₹7.5 lakh from ₹1.5 lakh.

Low fund uptake

The earlier Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development, notified in November 2015 to create a credit guarantee fund for courses aligned to the National Skills Qualification Framework, faced multiple challenges. As on March 31, loans amounting to ₹115.75 crore had been extended to just 10,077 borrowers.

Skill Development Ministry officials said the low fund utilisation over the past decade under the scheme was due to low ticket size of loans (up to ₹1.5 lakh), even as course costs and fees rose due to inflation, leaving many high-cost courses out of the scheme.

"Only member lending institutes of the Indian Banking Association (IBA) were allowed to lend earlier, and there was low uptake by both private and public sector banks due to their limited reach," a Ministry official added.

Under the new scheme, the lending network has been broadened from only IBA banks to include Non Banking Financial Companies and small finance banks, with access to more skill courses and higher loan limits.

पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना:

- ✚ पृष्ठभूमि: अपने बजट 2024-25 के भाषण में, वित्त मंत्री ने मॉडल कौशल ऋण योजना की घोषणा की थी।
- ✚ **योजना के बारे में:**
 - इस योजना का उद्देश्य उन्नत-स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों तक आसान पहुँच प्रदान करना है, जो संभावित रूप से कई योग्य छात्रों और उम्मीदवारों के लिए भविष्य और मांग वाले उद्योग कौशल हासिल करने में एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाधा उत्पन्न करते हैं।
 - यह योजना 7.5 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण के साधन के माध्यम से उन्नत कौशल के लिए वित्तीय सहायता के साथ युवाओं को सशक्त बनाती है।
- ✚ **यह पिछली योजना की तुलना में किस तरह से उन्नत है?**
 - क्रेडिट गारंटी कवर के लिए पात्र व्यक्तिगत ऋणों का अधिकतम टिकट आकार ₹1.50 लाख की पिछली सीमा से बढ़ाकर ₹7.50 लाख कर दिया गया है।
 - नई योजना के तहत, ऋण देने वाले नेटवर्क को केवल IBA बैंकों से बढ़ाकर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और छोटे वित्त बैंकों को शामिल किया गया है।
 - संशोधित योजना अब पुरानी योजना के तहत केवल राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF)-संरक्षित पाठ्यक्रमों के मुकाबले अधिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच की अनुमति देगी।
 - साथ ही, स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर शामिल किए गए गैर-NSQF पाठ्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
- ✚ **महत्व:**
 - कौशल क्षेत्र में निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करके और कम आय वाले युवाओं को विशेष कौशल पाठ्यक्रमों के लिए किफायती वित्त तक पहुँच प्रदान करके, इस योजना से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।
 - इस पहल की मदद से, इच्छुक उम्मीदवार स्वास्थ्य सेवा, आईटी, एआई-डेटा विज्ञान, क्लाउड एप्लिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, गेमिंग, ड्रोन तकनीक आदि जैसे क्षेत्रों में कौशल पाठ्यक्रमों की अधिकता से चुन सकते हैं।
 - उद्योग की बदलती गतिशीलता से प्रेरित ये पाठ्यक्रम पर्याप्त प्लेसमेंट अवसर और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की क्षमता प्रदान करते हैं।

UPSC Prelims PYQ : 2018

प्रश्न: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजना है
2. यह अन्य बातों के अलावा सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी।
3. इसका उद्देश्य देश के अनियमित कार्यबल की दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप बनाना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1 और 3
- b) केवल 2
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

उत्तर: d)

13 जुलाई को गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले में एक अवैध कोयला खदान में दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत हो गई।

India's illegal coal mining problem

How prevalent is illegal coal mining in India? What are the legal frameworks governing coal mining in India? Why is the responsibility for addressing illegal mining placed on State governments? What factors contribute to the persistence of illegal coal mining? What safety risks do workers face?

EXPLAINER

Priyali Prakash

The story so far:

On July 13, three workers died of asphyxiation inside an illegal coal mine in Gujarat's Surendranagar district. The officials said that the workers were working in a mine near Bhet village in Thangadh taluka without helmets, masks, or other safety equipment. The first information report (FIR) indicated that the accused failed to provide essential safety gear to the labourers, who died after inhaling toxic gas in the mine. The police have registered a case of culpable homicide not amounting to murder against four people.

What is the issue?

The Surendranagar incident is not an isolated case. In June 2023, three people, including a ten-year-old child, were reportedly killed after an illegal mine collapsed in the Dhanbad district of Jharkhand. Similarly, at least three people were killed in October 2023 after a coal mine collapsed during illegal extraction in West Bengal's Paschim Bardhaman district. These are just a few examples of how illegal coal mining has led to worker fatalities in India.

Coal in India was nationalised in two phases: first with the coking coal (used for the production of coke in the steel industry) in 1971-72; and then with the non-coking coal mines in 1973. The Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 is the central legislation that determines eligibility for coal mining in India. Illegal mining constitutes a law and order problem, which is a State list subject. Hence, the onus of dealing with it falls on State governments rather than the Union government.

Why is illegal coal mining rampant in India?

According to the Ministry of Coal, illegal



Mining perils: Labourers carry baskets of coal from an open-cast mine in Jharkhand. AP

mining in India is mostly carried out in abandoned mines or shallow coal seams in remote or isolated places. Several factors contribute to illegal coal mining in India.

Coal is the most abundant fossil fuel in India, accounting for 55% of the country's energy needs. The high demand for power in India translates into a high demand for coal, which often outstrips the legal supply, prompting illegal supply. Many areas that are rich in coal are also situated close to homes for populations struggling with poverty and unemployment, which contributes to illegal mining in these areas.

In remote areas, mining regulations can be weak due to inadequate monitoring and lack of resources, leading to weaker enforcement. This can result in the rise of "coal mafias," as has been alleged in multiple cases of illegal coal mining in India. For example, in 2018, activist Marshall Biam of the North East Indigenous People's Federation registered a complaint accusing a "police-backed" coal gang of threatening him. Mining tragedies are not uncommon in coal-rich Meghalaya.

Illegal coal mining also allegedly receives tacit support from political leaders in areas where it is prevalent, making it difficult to curb. In 2023, the Assam-based political party Assam Jatiya

Parishad (AJP) submitted a petition each to the President, Vice-President, Prime Minister, Chief Justice of India, the National Green Tribunal (NGT), the National Human Rights Commission and the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, alleging that some BJP leaders are behind illegal coal mining in the State. AJP president Lurinjyoti Gogoi and general secretary Jagadish Bhuyan said that illegal rat-hole coal mining has continued in Assam, as well as in Meghalaya and other north-eastern States, with the alleged patronage of BJP leaders and in collusion with officials despite a blanket ban on such mining by the NGT in 2014.

Illegal mining is often carried out using rudimentary techniques like surface mining and rat-hole mining, rather than the scientific methods required for legal operations on a larger scale. In areas where coal seams are closer to the surface, illegal miners access them with limited safety equipment. Minimal operational costs can also turn into significant profits, making illegal mining lucrative.

Why do so many workers die in illegal coal mines?

The lack of safety equipment and protocols is the primary reason for deaths during illegal coal mining. Miners face increased respiratory risks due to inhaling

coal dust, and the lack of safety equipment significantly increases this risk. The miners in the Surendranagar incident also died of carbon monoxide poisoning. According to District Collector K.C. Sampat, 2,100 wells had been filled in recent times, but some of them might have been illegally reopened, where the incident happened.

Illegal mines lack proper structural support to carry out the extraction of coal, making working conditions hazardous and vulnerable to cave-ins, landslides, and explosions. Workers may also be exposed to high levels of toxic substances like lead and mercury, which can cause acute poisoning or long-term chronic medical conditions.

Several people who work in illegal coal mines are untrained for the job and for the risks it poses. There is a lack of proper training, quick response facilities, and knowledge in case of emergencies.

Operator negligence and worker exploitation are also rampant in illegal coal mining.

Why do governments struggle to cut down illegal coal mining in India?

Questions regarding illegal coal mining have been raised in the Parliament, but since it is a law and order issue, the Union government often shifts the blame to State authorities. A mix of economic, social, political, and regulatory factors makes it difficult for governments to shut down illegal coal mining in India.

Illegal coal mining, by any means, is not a novelty. It has existed since before coal was nationalised and continues to exist in pockets in coal-rich areas or near abandoned mines. The high demand for coal as a fuel makes illegal mining rampant and challenging to control. Local economies in many areas depend on mining, and once official operations run their course, illegal mining takes its place to support the local community.

The legal framework governing mining is complex, which can possibly lead to bureaucratic hurdles and inefficiency in governance, allowing illegal mining to exist.

THE GIST

Three workers died of asphyxiation in an illegal coal mine in Gujarat's Surendranagar district on July 13 due to a lack of safety equipment.

Illegal coal mining is widespread in India and has led to numerous worker deaths.

Illegal mining is a law and order issue falling under State jurisdiction, making State governments responsible for addressing it.

High demand for coal, poverty, unemployment, weak regulations, and alleged political support contribute to the prevalence of illegal coal mining.

भारत में अवैध कोयला खनन कितना प्रचलित है?

- अवैध कोयला खनन के कारण कई मौतें हुई हैं, जिनमें गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई घटनाएं शामिल हैं, जो इसके प्रचलन और खतरों को उजागर करती हैं।
- इस वर्ष अकेले गुजरात में अवैध खनन की घटनाओं में 10 श्रमिकों की मृत्यु हुई है, जो इस गतिविधि से जुड़े चल रहे जोखिमों को दर्शाता है।

- ✚ अवैध खनन अक्सर परित्यक्त खदानों या उथले कोयला सीमों में किया जाता है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, जहाँ निगरानी और नियमों का प्रवर्तन कमजोर है।

भारत में कोयला खनन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे

- ✚ कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973: इस अधिनियम ने भारत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण किया, यह विनियमित किया कि कौन कोयला खनन कर सकता है और किन शर्तों के तहत।
- ✚ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम): यह केंद्रीय कानून खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है, खनन लाइसेंस प्राप्त करने और खनन गतिविधियों को विनियमित करने की प्रक्रियाओं का विवरण देता है। यह राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
 - जबकि एमएमडीआर अधिनियम एक रूपरेखा प्रदान करता है, अवैध खनन का प्रवर्तन और विनियमन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

अवैध खनन से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई

- ✚ कानून और व्यवस्था का मुद्दा: अवैध खनन को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो संविधान की राज्य सूची के तहत एक विषय है, जिससे इसे संबोधित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है।
- ✚ सीमित केंद्रीय प्राधिकरण: स्थानीय प्रवर्तन और विनियमन के मामलों में शासन की विकेंद्रीकृत प्रकृति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार अक्सर जिम्मेदारी राज्य अधिकारियों पर डाल देती है।

अवैध कोयला खनन के बने रहने में कौन से कारक योगदान करते हैं?

- ✚ कोयले की उच्च मांग: भारत की ऊर्जा जरूरतों का 55% हिस्सा कोयले से पूरा होता है, उच्च मांग अक्सर वैध आपूर्ति से अधिक होती है, जिससे अवैध खनन गतिविधियाँ होती हैं।
- ✚ गरीबी और बेरोजगारी: कई कोयला समृद्ध क्षेत्रों में गरीब आबादी रहती है जो सीमित रोजगार के अवसरों के कारण आजीविका के स्रोत के रूप में अवैध खनन का सहारा लेती है।
- ✚ कमजोर नियामक प्रवर्तन: दूरदराज के क्षेत्रों में खनन विनियमों की अपर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन अवैध खनन कार्यों को पनपने देता है।
- ✚ राजनीतिक संरक्षण: अवैध खनन कार्यों में राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता के आरोपों ने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को जटिल बना दिया है, जैसा कि विभिन्न राज्यों में देखा गया है।

कर्मचारियों को किन सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है?

- ✚ सुरक्षा उपकरणों की कमी: श्रमिक अक्सर हेलमेट, मास्क या अन्य सुरक्षात्मक गियर के बिना काम करते हैं, जिससे उनके चोटिल होने या मृत्यु का जोखिम काफी बढ़ जाता है।
- ✚ खतरनाक कार्य परिस्थितियाँ: अवैध खदानें आमतौर पर अनियमित होती हैं, जिनमें उचित संरचनात्मक समर्थन की कमी होती है, जिससे वे धंसने, भूस्खलन और विस्फोटों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- ✚ विषाक्त गैसों का संपर्क: खनिकों को कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के साँस लेने से दम घुटने का खतरा होता है, जैसा कि गुजरात में हाल ही में हुई मौतों से पता चलता है।
- ✚ कोयले की धूल और खतरनाक पदार्थों के लगातार संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी समस्याएँ और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियाँ हो सकती हैं, जिससे श्रमिकों का स्वास्थ्य और भी खतरे में पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

Daily News Analysis

- ✚ अवैध खनन गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी और पता लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी उन्नत निगरानी तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता है।
- ✚ इससे अवैध संचालन की पहचान करने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने में प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता में सुधार हो सकता है।

UPSC Prelims PYQ : 2023

प्रश्न: भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उनमें से कोई भी समुद्री जल का उपयोग नहीं करता है।
2. उनमें से कोई भी जल-तनावग्रस्त जिले में स्थापित नहीं है।
3. उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व वाला नहीं है।


उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- a) केवल एक
- b) केवल दो
- c) सभी तीन
- d) कोई नहीं

उत्तर: d)

Personality In News : Lokmanya Tilak

प्रधानमंत्री ने हाल ही में लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।



लोकमान्य तिलक के बारे में:

- ✚ बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे।
- ✚ वे आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और संभवतः स्वराज या भारत के लिए स्वशासन के सबसे मजबूत समर्थक थे।
- ✚ वे अपने नारे के लिए जाने जाते हैं, "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा।" उनका जन्म केशव गंगाधर तिलक के रूप में हुआ था, और उनके अनुयायियों ने उन्हें 'लोकमान्य' की उपाधि दी, जिसका अर्थ है वह जो लोगों द्वारा पूजनीय हो।

उग्रवादी:

- उन्हें कट्टर राष्ट्रवादी माना जाता था।
- ब्रिटिश सरकार ने उन्हें "भारतीय अशांति का जनक" कहा था।

संगठन:

- वे 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए।
- उन्होंने 1916-18 में जी.एस. खापर्डे और एनी बेसेंट के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना में भी मदद की।
- ✚ तिलक ने महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक और बरार क्षेत्र में अपनी होम रूल लीग शुरू की।
- ✚ बेसेंट की लीग शेष भारत में सक्रिय थी।
- ✚ इसका उद्देश्य स्वशासन की वकालत करना और भारत के खुद पर शासन करने के अधिकार के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना था।

साहित्यिक कार्य:

Daily News Analysis

- तिलक एक विपुल लेखक और पत्रकार थे।
- उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए मराठी में अपने समाचार पत्र "केसरी" (जिसका अर्थ है शेर) और बाद में अंग्रेजी में "मराठा" का इस्तेमाल किया।
- उनकी कुछ उल्लेखनीय साहित्यिक कृतियों में "वेदों में आर्कटिक होम" शामिल है, जहाँ उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि वेदों की उत्पत्ति आर्कटिक क्षेत्र में हुई थी, और "श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य", जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भगवद्गीता की व्याख्या है।

शिक्षाविद्:

- तिलक शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की।
- इस सोसाइटी ने फर्ग्यूसन कॉलेज और न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसने महाराष्ट्र में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित पढ़ाया।
- ✚ सामाजिक सुधार: लोकमान्य तिलक सामाजिक सुधार के भी समर्थक थे। उन्होंने अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- ✚ लाल-बाल-पाल: उनके राजनीतिक साथी बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे लोकप्रिय नेता थे और तीनों को लोकप्रिय रूप से 'लाल-बाल-पाल त्रिमूर्ति' के रूप में जाना जाता था।
- ✚ कारावास: उन्हें कई मौकों पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी सबसे लंबी कैद 1908 से 1914 तक चली, जिसके दौरान उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक "गीता रहस्य" (भगवद् गीता का रहस्य) लिखी।
- ✚ 1916 में, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू-मुस्लिम एकता प्रदान की।

UPSC Prelims PYQ : 2019

प्रश्न: स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया।
2. स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c)

'Teaching mental well being will reduce suicides'

R. Sujatha

A recent article in the *Lancet* has once again turned the spotlight on suicide. Psychiatrists have been talking about ways to reduce suicides but rue the fact that governments, state and central, have shown little interest.

A blueprint to stem suicides, the National Suicide Prevention Strategy, was launched in November 2022. The aim was to establish effective surveillance mechanisms for suicide within three years and establish psychiatric outpatient departments to provide suicide prevention services through the District Mental Health Programmes in all districts within the next five years. It called for integrating a mental well-being curriculum into all educational institutions within eight years. It also sought to develop guidelines for responsible media reporting of suicides and restrict access to the means for suicide.

Top killer

In India, more than 1 lakh lives are lost annually to suicide, and it is the top killer in the 15-29 years category. From 2019 to 2022,



In India, more than 1 lakh lives are lost annually to suicide, and it is the top killer in the 15-29 age group. GETTY IMAGES

the suicide rate increased from 10.2 to 11.3 per 1,00,000.

The NSSP envisages a specific strategy for every state and district. "We have explained the strategy, who should implement it, and the cascading effect. The ministry of health, education, and agriculture in each state must have a task force. We have provided short-term, medium-term, and long-term goals. But two years later, nothing has happened," said Lakshmi Vijayakumar, who has been running a suicide prevention programme, Sneha, for four decades. The health department should take the lead, but other departments like fertilisers, chemicals, information and broadcasting should also be represented in the task force, she said.

The education department should be included to promote emotional wellbeing.

Soumitra Pathare, Director for Centre for Mental Health Law and Policy, one of the framers blames lack of political will.

'Sense of fatality'

"There is a sense of fatality when we start talking about suicide prevention. 'We cannot completely eliminate suicides', is what we hear. Instead of saying prevention we must say reduction. Even a 20% drop in suicides would save 40,000 lives annually," he remarked. He also blamed the lack of will in the media to make conscientious efforts to educate themselves on reporting suicides. By talking about suicides we would be acknowledging the problem

and try to find solutions, he reasoned.

Dr. Pathare and Dr. Lakshmi pointed out that it is likely the only health condition which claims 1.27 lakh lives but there is no government programme to prevent it. Dr. Pathare cited Tamil Nadu as an example where suicides had reduced thanks to supplementary examinations for school students. Yet the government has done nothing to implement NSPS. "The present approach is piecemeal. We need a district wise programme that can bring about consistent results," Dr. Pathare said. Dr. Lakshmi calls for several editions of competitive exams so youngsters gain confidence that they can appear whenever they want.

"The National Education Policy is good, but it has not been implemented. The vocational guidance programme and multiple exits, grade system, and the flexibility to make course changes are all good. But it has not been implemented," she said.

Policy changes work

"I would like to emphasise that policy changes do make a difference and these policies are there and need to be implement-

ed. Once implemented, we see results. And the example is Tamil Nadu. "Tie up NEP and NSPS, and by implementing the strategies deaths can be reduced," she said.

Dheeraj Singh, an alumnus of the IIT Kanpur who mentors students from IITs, said: "Suicides can be prevented with timely supportive action. Citizens must learn the skills of identifying someone with suicidal thoughts, asking them openly about their thoughts, talking to them without fear, and referring them to a caregiver who can complete a safety plan and provide suicide prevention counselling. These steps, if taken with care person, can save many lives at risk."

(sujatha.r@thehindu.co.in)

(Assistance for overcoming suicidal thoughts is available on the State's health helpline 104, Tele-MANAS 14416. and Sneha's suicide prevention helpline 044-24640050)



For feedback

for 'Science', please write to science@thehindu.co.in with the subject 'Daily page'

GS Paper 02 : शासन और सामाजिक न्याय: सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे.

PYQ : (UPSC CSE (M) GS-1 2023): भारतीय समाज में युवा महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?(250 w/15m)

PYQ : (UPSC CSE (M) GS-4 2021): "जब तक हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम बाहरी दुनिया में शांति प्राप्त नहीं कर सकते।" - दलाई लामा (250 w/15m)

संदर्भ :

- लैसेट में हाल ही में छपे एक लेख ने एक बार फिर आत्महत्या पर ध्यान केंद्रित किया है। मनोचिकित्सक आत्महत्याओं को कम करने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस तथ्य पर अफसोस जताते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार ने इसमें बहुत कम रुचि दिखाई है।

आत्महत्याओं पर अंकुश लगाने की रणनीति

- आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक खाका, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, नवंबर 2022 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य तीन वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना और अगले पाँच वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ प्रदान करने के लिए मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करना था।
- इसने आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम को एकीकृत करने का आह्वान किया।
- इसने आत्महत्याओं की ज़िम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने और आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने की भी मांग की।

शीर्ष हत्यारा

- भारत में, आत्महत्या से हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है और यह 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे बड़ा हत्यारा है।
- 2019 से 2022 तक आत्महत्या की दर 10.2 से बढ़कर 11.3 प्रति 1,00,000 हो गई।
- एनएसएसपी में हर राज्य और जिले के लिए एक खास रणनीति की परिकल्पना की गई है।
- प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि मंत्रालय के पास एक टास्क फोर्स होनी चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग को इसका नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन टास्क फोर्स में उर्वरक, रसायन, सूचना और प्रसारण जैसे अन्य विभागों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- भावनात्मक भलाई को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग को भी शामिल किया जाना चाहिए।

Daily News Analysis

- ✚ सौमित्र पठारे, सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी के निदेशक, जो कि एक संविधान निर्माता हैं, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दोषी ठहराते हैं।

'मृत्यु की भावना'

- ✚ जब हम आत्महत्या की रोकथाम के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो मृत्यु की भावना होती है। आत्महत्याओं में 20% की गिरावट से भी सालाना 40,000 लोगों की जान बच सकती है।
- ✚ मीडिया में आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग के बारे में खुद को शिक्षित करने के लिए ईमानदार प्रयास करने की इच्छाशक्ति की कमी।
- ✚ आत्महत्याओं के बारे में बात करके हम समस्या को स्वीकार करेंगे और समाधान खोजने की कोशिश करेंगे।
- ✚ वर्तमान दृष्टिकोण टुकड़ों में है। हमें एक जिलावार कार्यक्रम की आवश्यकता है जो लगातार परिणाम ला सके।
- ✚ राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छी है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है।
- ✚ व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम और कई निकास, ग्रेड प्रणाली, और पाठ्यक्रम परिवर्तन करने की लचीलापन सभी अच्छे हैं। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है।
- ✚ नीतिगत परिवर्तन निश्चित रूप से अंतर लाते हैं और ये नीतियाँ मौजूद हैं और इन्हें लागू करने की आवश्यकता है।
- ✚ एनईपी और एनएसपीएस को जोड़कर, और रणनीतियों को लागू करके मौतों को कम किया जा सकता है।

आगे की राह

- ✚ समय पर सहायक कार्रवाई से आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। नागरिकों को आत्महत्या के विचार वाले किसी व्यक्ति की पहचान करने, उनसे उनके विचारों के बारे में खुलकर पूछने, बिना किसी डर के उनसे बात करने और उन्हें एक देखभाल करने वाले के पास भेजने का कौशल सीखना चाहिए जो एक सुरक्षा योजना पूरी कर सके और आत्महत्या रोकथाम परामर्श प्रदान कर सके।
- ✚ ये कदम, अगर सावधानी से उठाए जाएं, तो जोखिम में पड़े कई लोगों की जान बच सकती है।

आत्महत्या क्या है?

- ✚ आत्महत्या तब होती है जब लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लक्ष्य से खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, और परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है।
- ✚ आत्महत्या का प्रयास तब होता है जब लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लक्ष्य से खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती।

भारत में आत्महत्या से होने वाली मौतों का डेटा:

Daily News Analysis

- ✚ भारत में, हर साल आत्महत्या के कारण एक लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, और यह 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा हत्यारा है।
- ✚ पिछले तीन सालों में, आत्महत्या की दर 10.2 से बढ़कर 11.3 प्रति 1,00,000 आबादी हो गई है, दस्तावेज़ में दर्ज है।
- ✚ आत्महत्या के सबसे आम कारणों में पारिवारिक समस्याएँ और बीमारियाँ शामिल हैं, जो सभी आत्महत्या से संबंधित मौतों का 34% और 18% हिस्सा हैं।

उपचार और चिकित्सा:

संक्षिप्त हस्तक्षेप

- ✚ **सुरक्षा योजना:**
 - व्यक्तिगत सुरक्षा योजना आत्मघाती विचारों और कार्यों को कम करने में मदद करने के लिए दिखाई गई है।
- ✚ **फ़ॉलो-अप फ़ोन कॉल:**
 - शोध से पता चला है कि जब जोखिम वाले रोगियों को आगे की स्क्रीनिंग, सुरक्षा योजना हस्तक्षेप और सहायक फ़ोन कॉल की एक श्रृंखला मिलती है, तो आत्महत्या का उनका जोखिम कम हो जाता है।

मनोचिकित्सा:

- ✚ **संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT):**
 - यह लोगों को तनावपूर्ण अनुभवों से निपटने के नए तरीके सीखने में मदद कर सकती है।
 - CBT व्यक्तियों को उनके विचार पैटर्न को पहचानने और आत्महत्या के विचार आने पर वैकल्पिक कार्यों पर विचार करने में मदद करती है।
- ✚ **द्वंद्वीय व्यवहार थेरेपी (DBT):**
 - यह किशोरों में आत्मघाती व्यवहार को कम करने के लिए दिखाई गई है।

भारत की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति

2022 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की।

नीति के बारे में अधिक जानकारी

- ✚ **के बारे में:**
 - हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति देश में अपनी तरह की पहली रणनीति है।
 - आत्महत्या रोकथाम नीति समयबद्ध कार्य योजनाओं और बहु-क्षेत्रीय सहयोग के साथ आती है, ताकि 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाई जा सके।

रणनीति का मुख्य उद्देश्य है:

Daily News Analysis

- अगले तीन वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना,
- अगले पाँच वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ प्रदान करने वाले मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करना, और
- अगले आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम को एकीकृत करना।

नीति में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

- आत्महत्याओं की ज़िम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश विकसित करना, और
- आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना।

समुदाय और सामाजिक समर्थन:

- आत्महत्या रोकथाम के लिए समुदाय लचीलापन और सामाजिक समर्थन विकसित करने पर जोर दिया गया है।

वैश्विक रणनीति के अनुरूप:

- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 3.4 का उद्देश्य रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर-संचारी रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करना और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है।

इसका एक संकेतक आत्महत्या दर है।

- जबकि यह रणनीति आत्महत्या रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है, यह कहता है कि यह भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के लिए सही रहेगी।

भारत सरकार की पहल

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी), 1982:

- निकट भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से आबादी के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के लिए।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 - आत्महत्या के प्रयासों को अपराध से मुक्त करना:

- इसे 2017 में पारित किया गया था, मई 2018 में लागू हुआ और इसने 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की जगह ली।

Daily News Analysis

- अधिकांश भारतीय चिकित्सकों और मानसिक स्वास्थ्य के अधिवक्ताओं की खुशी के लिए, इस अधिनियम ने भारत में आत्महत्या के प्रयासों को अपराध से मुक्त कर दिया।
- इसमें मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण में डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश भी शामिल थे।
- अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान "उन्नत निर्देश" था, जो मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों को अपने उपचार के तरीके को तय करने और किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति देता था।
- इसने इलेक्ट्रोकोनवल्सी थेरेपी (ईसीटी) के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया, और नाबालिगों पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, अंततः भारतीय समाज में कलंक से निपटने के उपायों की शुरुआत की।

मनोदर्पण पहल:

- ✚ यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक पहल है।
- ✚ इसका उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता प्रदान करना है।

किरण हेल्पलाइन:

- ✚ यह हेल्पलाइन आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम है, और सहायता और संकट प्रबंधन में मदद कर सकती है।
- ✚ इस हेल्पलाइन का उद्देश्य प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन प्रदान करना है और इसे विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।

मुद्दे और आगे की राह

ध्यान केंद्रित नहीं:

- ✚ हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 1.64 लाख लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई।
- ✚ यह भारत में 2020 में कोविड से हुई मौतों से 10 प्रतिशत अधिक है, और 2020 में मातृ मृत्यु (23800) से 6.8 गुना अधिक है।
- ✚ फिर भी, हमने आत्महत्या की रोकथाम की तुलना में कोविड प्रोटोकॉल और मातृ स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान और प्रयास किए हैं।

सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता:

- यह देखते हुए कि आत्महत्या एक जटिल मुद्दा है, इससे निपटने के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

Daily News Analysis

- 2021 एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि पारिवारिक मुद्दे (33.2 प्रतिशत), बेरोजगारी/ऋणग्रस्तता/करियर की समस्याएं (7.7 प्रतिशत), स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं (18.6 प्रतिशत) कुछ प्रमुख कारण हैं।
- रोकथाम पर काम करने के लिए, हमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आदि को सहयोगात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता है।


प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता:

- रणनीति अब राज्यों को सौंपी जानी चाहिए ताकि वे स्थानीय रूप से प्रासंगिक कार्य योजनाएं विकसित कर सकें; और फिर जिला, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्तर पर इसे लागू किया जा सके।
- अब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में आत्महत्याओं को रोकने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।
- आत्महत्याएं समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती हैं और इसलिए व्यक्तियों और समुदाय से बड़े पैमाने पर ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

Mapping : National Parks of India

- ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाता है।
- एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं।
- उनकी सीमाएँ निश्चित और परिभाषित होती हैं।
- एक राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता संरक्षण करना है।

NATIONAL PARKS OF INDIA



राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर क्या अनुमति है और क्या नहीं:

- यहाँ, किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।
- यहाँ पशुओं को चराने और निजी काश्तकारी अधिकारों की अनुमति नहीं है।
- वन्यजीव अधिनियम की अनुसूचियों में उल्लिखित प्रजातियों का शिकार या कब्जा करने की अनुमति नहीं है।

Daily News Analysis

- कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से किसी भी वन्यजीव को नष्ट, हटा या शोषण नहीं करेगा या किसी भी जंगली जानवर के आवास को नष्ट या नुकसान नहीं पहुँचाएगा या किसी भी जंगली जानवर को राष्ट्रीय उद्यान के भीतर उसके आवास से वंचित नहीं करेगा।
- उन्हें 'अभयारण्य' के दर्जे में नहीं बदला जा सकता।

राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा:

- राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105
- कुल क्षेत्रफल 40,501 वर्ग किमी.
- अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान राज्य पी. (9), अंडमान और निकोबार (9)
- पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
- सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
- सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान
- नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कुनो राष्ट्रीय उद्यान

भारत में 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका क्षेत्रफल 43,716 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है

राज्यवार राष्ट्रीय उद्यानों की सूची

राज्य का नाम	संरक्षित क्षेत्र का नाम
गोवा	मोल्लेम
गुजरात	ब्लैकबक (वेलावदर) गिर समुद्री (कच्छ की खाड़ी) वांसदा
हरियाणा	कलेसर सुल्तानपुर
हिमाचल प्रदेश	ग्रेट हिमालयन इंद्रकिला खिरगंगा पिन वैली कर्नल शेरजंग सिम्बलबारा

Daily News Analysis

झारखंड	बेतला
कर्नाटक	अंशी बांदीपुर बन्नरघट्टा कुद्रेमुख नागरहोल (राजीव गांधी)
केरल	अनामुदी शोला एराविकुलम मथिकेतन शोला पम्बदुम शोला पेरियार साइलेंट वैली
मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ डायनासोर के जीवाश्म जीवाश्म पेंच कान्हा कुनो माधव पन्ना संजय सतपुड़ा वन विहार
महाराष्ट्र	चंदौली गुगामल नवेगांव पेंच (जवाहरलाल नेहरू) संजय गांधी (बोरीवली) ताडोबा
मणिपुर	केबुल लंजो शिरोई
मेघालय	बालफकरम नोक्रेक रिज
मिजोरम	मुरलेन फौगपुरई (ब्लू माउंटेन)
नागालैंड	इंटंकी
ओडिशा	भीतरकनिका सिमलीपाल
राजस्थान	रेगिस्तान केवलादेव घाना मुकुंदरा पहाड़ियाँ रणथंभौर सरिस्का
सिक्किम	कंचनजंगा
तमिलनाडु	मन्नार की गिंडी खाड़ी समुद्री इंदिरा गांधी (अन्नामलाई) मुदुमलाई मुकुर्थी
तेलंगाना	कासु ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिणा वनस्थली मृगवाणी
त्रिपुरा	क्लाउडेड लेपर्ड बाइसन (राजबारी)
उत्तर प्रदेश	दुधवा

Daily News Analysis

उत्तराखंड	कॉर्बेट गंगोत्री गोविंद नंदा देवी राजाजी फूलों की घाटी
पश्चिम बंगाल	बक्सा गोरुमारा जलदापारा नेओरा घाटी सिंगालीला सुंदरबन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कैम्पबेल बे गैलाथिया बे महात्मा गांधी मरीन (वंडूर) माउंट हैरियट रानी झांसी मरीन सैडल पीक
जम्मू और कश्मीर	सिटी फ़ॉरेस्ट (सलीम अली) दाचीगाम काज़िनाग किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड
लद्दाख	हेमिस

Daily News Analysis

